

भारत के राजपत्र भाग-II, खंड 3 उप खण्ड (ii) में प्रकाशनार्थ

ई.फा.सं. 4/1(i)/2024-बीओ-I

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

वित्तीय सेवाएं विभाग

नई दिल्ली, 30 जनवरी, 2024

10 माघ, 1945 (शक)

अधिसूचना

बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9 की उप-धारा (3) के खंड (क) के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्वारा इंडियन ओवरसीज बैंक के कार्यपालक निदेशक श्री संजय विनायक मुदलियार को उनके कार्य-भार ग्रहण करने की तारीख से उनकी कार्यावधि की शेष आवधि तक अर्थात् दिनांक 31.12.2025 तक या अगले आदेशों तक, जो भी पहले हों, बैंक ऑफ बड़ौदा में कार्यपालक निदेशक के पद पर नियुक्त करती है।

संजय

(संजय कुमार मिश्र)

अवर सचिव, भारत सरकार

सेवा में,

प्रबंधक,

भारत सरकार मुद्राणालय,

मायापुरी औद्योगिक क्षेत्र,

रिंग रोड, नई दिल्ली।